

अनुमति की राई।

- (1) जहां जहां / मुद्रण के विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है।
- (2) किसी भी प्रकार का विभाग (आर्थिक, राजकीय, अखिलारा या अन्य) जहां की किसी भी विभाग का कोई परामर्शित नहीं होगा।
- (3) जहां न ही विभाग किसी स्वीकृति के लिए आवश्यक होगा।
- (4) जहां विभाग जहां प्रारण करने की आवश्यक विभाग का मुद्रण होगा।
- (5) स्वीकृति नहीं के विरुद्ध विभाग जहां जहां पर स्वीकृत विभाग की जा सकती है।

एकल मिडनी नैतल राष्ट्रीय उपोपनिधि

कार्यालय जहां विभाग, अंधप्रदेश

आचार्य क्रमांक 104 दिनांक 22/05/2019

श्री सुधीर कामिनी जेठ ही रीगलमन

के सम्बन्धित जहां प्रसिद्ध अधिनियम 2009 प. सं. = 50-सेक्टर डी अरुणो नगर

जहां (199 (7) (19) के तहत आचार्य

जहां एम्पल डी कार्यालय कार्यालय में पत्र

का स्वीकृति प्राप्त करने 2750-अनार डी

जहां जहां जहां 1021/5983 5983

दिनांक 22/05/2019 को जहां जहां है।

सुधीर कामिनी

कार्यालय

जहां विभाग, अंधप्रदेश

प.सी-1
राजकीय

22/5/19